L. A. BILL No. XXXVII OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३७ सन् २०२१।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

सन् १९५८ का ६०।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अत: भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए ।

सन् १९५८ का ६० की अनुसूची एक में संशोधन ।

सन् १९५८ का ६०।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की संलग्न अनुसूची एक के,—

(१) अनुच्छेद ६ के,—

(क) खण्ड (१) के, उप-खण्ड (ख) के, स्तंभ (२) में,—

(एक) " दस लाख रुपए " शब्दों के स्थान में, " बीस लाख रुपये " शब्द रखे जायेगें ;

(शा.म.मु.) एचबी १७३१—१ (५०-१२-२०२१)

(दो) निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, बैंकों के सहायता संघ के पक्ष में, निष्पादित लिखत के मामले में, प्रभार्य शुल्क पचास लाख रुपयों से अधिक नहीं होगा ।" ;

(ख) खण्ड (२) के, उप-खण्ड (ख) के, स्तंभ (२) में,—

(एक) " दस लाख रुपये " शब्दों के स्थान में, " बीस लाख रुपए " शब्द रखे जायेंगें ;

(दो) निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, बैंकों के सहायता संघ के पक्ष में, निष्पादित लिखत के मामले में, प्रभार्य शुल्क पचास लाख रुपयों से अधिक नहीं होगा ।" ;

(२) अनुच्छेद ३३ के, खंड (ख) के, उप-खण्ड (दो) के स्थान में, निम्न उप-खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (दो) यदि इस प्रकार कब्जा नहीं दिया है तो,—

(क) यदि, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति के अधिकतर प्रभार की रकम पाँच लाख रुपयों से अधिक नहीं होगी,	एक सौ रुपयों के निम्नतम के अध्यधीन, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति के अधिकतम प्रभार की रकम के ०.१ प्रतिशत ;
(ख) किसी अन्य मामलों में,	बीस लाख रुपयों के अधिकतम के अध्यधीन, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति के अधिकतर प्रभार की रकम के ०.३ प्रतिशत ।" ;

(३) अनुच्छेद ४० के, खंड (ख) के, उप-खण्ड (दो) के, स्तंभ (२) में ,—

(एक) " दस लाख रुपये " शब्दों के स्थान में, " बीस लाख रुपए " शब्द रखे जायेंगें ;

(दो) निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, बैंकों के सहायता संघ के पक्ष में, निष्पादित लिखत के मामले में, प्रभार्य शुल्क पचास लाख रुपयों से अधिक नहीं होगा ।" ;

(४) अनुच्छेद ४१ के स्थान में, निम्न अनुच्छेद रखा जायेगा, अर्थात् :—

" **४१ फसल का बंधक,** फसल के किसी बंधक पर किए गए ऋण की पुनर्अदायगी सुरक्षित करने के किसी करार के सबूत देनेवाले किसी लिखत समेत **फसल का बंधक** चाहे, फसल के बंधक के समय पर फसल अस्तित्व में है या नहीं है,—

(एक) यदि ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम पाँच लाख से अधिक नहीं होगी,	न्यूनतम एक सौ रुपयों के अध्यधीन, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति रकम के ०१ प्रतिशत ;
(दो) किसी अन्य मामलों में,	अधिकतम बीस लाख रुपयों के अध्यधीन, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति रकम के ०.३ प्रतिशत ।" ;

(५) अनुच्छेद ५४ के स्थान में, निम्न अनुच्छेद रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३६।

" ५४ प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक विलेख, जहाँ इस तरह के ऐसे प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक विलेख को किसी कार्यालय के उचित निष्पादन के लिए, या उसके आधार पर प्राप्त रकम या अन्य

संपत्ति के लिए सुरक्षा के रूप में निष्पादित किया जाता है या संविदा के उचित अनुपालन सुरक्षित करने की प्रतिभूद्वारा या महाराष्ट्र न्यायालय फीस अधिनियम द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित न होनेवाले न्यायालय या लोक अधिकारी के किसी आदेश के अनुसरण में, निष्पादित है,—

सन् १९५९ का ६०।

(एक) यदि ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति रकम पाँच लाख से अधिक नहीं है ;	न्यूनतम एक सौ रुपयों के अध्यधीन, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति के ०.१ प्रतिशत। ” ;
(दो) किसी अन्य मामलों में,	अधिकतम बीस लाख रुपयों के अध्यधीन, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति रकम के ०.३ प्रतिशत: परंतु, जहाँ कोई व्यक्ति द्वारा, जिसके लिए कोई व्यक्ति ज़मानत पर है और प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक विलेख निष्पादित किया है, के द्वारा निष्पादित किसी विलेख पर अनुच्छेद ४० के अधीन शुल्क का भुगतान किया है तब भुगतान योग्य शुल्क एक सौं रुपए होंगे । ”।

छूट

बंधपत्र या अन्य लिखत जब,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा, प्रत्याभूति के प्रयोजन के लिए कि, धर्मार्थ दवाखाना या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किन्ही अन्य उद्देश्यों को निजी प्रतिश्रुति से उत्पन्न स्थानीय आय प्रति मासिक विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगी ;

सन् १९७६ का महा. २८।

(ख) महाराष्ट्र सिंचाई अधिनियम, १९७६ की धारा ११४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों के अधीन निष्पादित है ;

सन् १८८३ का १९।
सन् १८८४ का १२।

(ग) व्यक्ति द्वारा, भूमि विकास उधार अधिनियम, १८८३ या कृषक उधार अधिनियम, १८८४ के अधीन अग्रिम लेता है या ऐसे अग्रिमों की पुनर्अदायगी के लिए प्रतिभूति के रूप में उनके प्रतिभू द्वारा निष्पादन होता है ;

(घ) सरकार के अधिकारियों द्वारा या किसी कार्यालय के उचित निष्पादन को सुरक्षित करने के उनके प्रत्याभूति या उनके आधार से प्राप्त रकम या अन्य सम्पत्ति के लिए उचित लेखा प्रणाली द्वारा निष्पादन ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) से संलग्न अनुसूची **एक** के अनुच्छेद ६ के अधीन प्रभार्य हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक सबूत लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२१ (सन् २०२१ का महा. ३) (जिसे इसमें आगे, " उक्त संशोधित अधिनियम " कहा गया है) के प्रारम्भण के पूर्व, उक्त अनुसूची के अनुच्छेद ४० के अधीन प्रभार्य साधारण बंधक विलेख से कम था । इसलिए, उक्त संशोधित अधिनियम द्वारा क्रमशः उक्त अनुच्छेद ६ और ४० के अधीन हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क और साधारण बंधक विलेख एकरूप बनाए गए हैं । उक्त संशोधन के कारण राजस्व कमी को समायोजित करने के लिए, उक्त अनुच्छेद ६ और ४० में विनिर्दिष्ट दस लाख रुपयों की अधिकतम स्टाम्प शुल्क की सीमा बीस लाख रुपयों तक वृद्धि की जाने की आवश्यकता है ।

२. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण गुजरात बनाम तटीयक्षेत्र गुजरात पॉवर लिमिटेड (सन् २०१५ का सिविल अपील क्रमांक ६०५४) के मामले में, सम्मानीय उच्चतम न्यायालय के न्यायनिर्णय को देखते हुए, उक्त अधिनियम की धारा ५, कई सुभिन्न संव्यवहारों को समावेशित या संबंधित किसी लिखत के संबंध में उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क के उद्देश्य से उक्त संशोधित अधिनियम द्वारा संशोधित की गई है । धारा ५ के इस संशोधन के कारण, बैंकों के सहायता संघ द्वारा, बंधक की लिखत के मामले में, दस लाख रुपयों की अधिकतम के अध्यधीन ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के, संबंध में स्टाम्प शुल्क अदा करने के लिए हर एक बैंक दायी होंगी। सरकार ने, इसलिये यह इष्टकर समझा है कि, बैंकों के सहायता संघ के पक्ष में निष्पादित बंधक से संबंधित लिखत के मामले में, पचास लाख रुपयों के स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट करना जिससे औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र को सहायता मिलें और स्टाम्प शुल्क का भुगतान समय पर करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हों ।

३. सरकार ने, उक्त अधिनियम के अधीन बंधक के संबंध में उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क में तालमेल बिठाने के लिए बंधक के संबंध में अनुच्छेद ६ और ४० से आनुषंगिक कतिपय अनुच्छेदों जैसे कि, अनुच्छेद ३३ (बंधक सम्पत्ति पर अधिकतर प्रभार), अनुच्छेद ४१ (फसल का बंधक) और अनुच्छेद ५४ (प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक विलेख) का संशोधन करना भी इष्टकर समझा है ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई, **बाळासाहेब थोरात,**

दिनांकित २० दिसंबर, २०२१। राजस्व मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ में, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) की संलग्न अनुसूची एक के अनुच्छेद ६, ३३, ४०, ४१ और ५४ में, उक्त अधिनियम के अधीन बंधक के संबंध में सामंजस्यपूर्ण स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण करने की दृष्टि से संशोधन करना है। विधेयक में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसके अधिनियमितिकरण पर राज्य की समेकित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्विष्ट करें।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, २०२१ ई. पर पुरःस्थापना करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २२ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।